

भारत निर्वाचन आयोग

दूरभाष: 011-2305224
फैक्स 011 -23052001
वेबसाइट : www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 576/14/ईपीएस/2019

दिनांक: 30 सितम्बर, 2019

सेवा में

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन, 2019 - मदिरा इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबंध - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

आयोग ने दिनांक 21, 22, और 24 सितम्बर 2019 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/84/2019, ईसीआई/प्रेस नोट/85/2019 तथा ईसीआई/प्रेस नोट/87/2019 के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन, 2019 की घोषणा की है, जो आयोग की वेबसाइट <http://eci.gov.in> पर प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

इस संबंध में, मुझे आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि किसी मतदान क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, शराबखाना, दुकान में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में कोई भी स्परिटयुक्त, खमीरीकृत या मादक मदिरा या ऐसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ न तो विक्रय किए जाएंगे, न दिए या वितरित किए जाएंगे।

2. ऊपर यथानिर्दिष्ट सांविधिक प्रावधान को देखते हुए, उस मतदान क्षेत्र में, जहां लोक सभा एवं विधान सभाओं के लिए निर्वाचन आयोजित किए जाने हैं, निर्वाचन के लिए मतदान दिवस के संबंध में

आयोग की अधिसूचना में यथा-इंगित मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान, यथा-उपयुक्त संगत राज्य कानून के अन्तर्गत 'शुष्क दिवस' घोषित और अधिसूचित किया जाएगा। इसमें पुनर्मतदान की तिथियां, यदि कोई हों, भी सम्मिलित होंगी।

3. इसके अतिरिक्त आयोग यह निदेश भी देता है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों, 2019 में उप-निर्वाचनों के लिए मतों की गणना किए जाने वाली तारीख को भी राज्यों में संगत कानूनों के अन्तर्गत 'शुष्क दिवस' घोषित किया जाएगा।

4. पूर्वोक्त दिनों में मदिरा की बिक्री करने/परोसने वाली किन्हीं भी मदिरा की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों और अन्य प्रतिष्ठानों को, किसी भी व्यक्ति चाहे वे जो भी हों, को मदिरा बेचने/ परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. इन दिनों में गैर-मालिकाना क्लबों, सितारा होटलों, रेस्तरां आदि और किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटलों को भी मदिरा परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही उन्हें रखने और उसकी आपूर्ति करने के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लाइसेंस क्यों न जारी किए गए हों।

6. उपर्युक्त समयावधि के दौरान व्यक्ति-विशेष द्वारा मदिरा का भंडारण किए जाने में कटौती की जाएगी और गैर-लाइसेंसशुदा परिसरों में मदिरा के भंडारण पर उत्पाद-शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

7. आयोग निदेश देता है कि राज्य सरकारें उपर्युक्त उपायों को सख्ती से लागू करेगी। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संबंधित प्राधिकारियों को उपर्युक्त निषेधों को लागू करने तथा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान के शांतिपूर्ण एवं सुचारु संचालन में निर्वाचन प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए उपयुक्त एवं विधिक दृष्टि से प्रभावी उपाय करने के लिए विस्तृत एवं व्यापक अनुदेश जारी करें।

8. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(संजीव कुमार प्रसाद)

अवर सचिव

प्रति:- संबंधित जोनल अनुभाग